तारीख हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
15/1/21	उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थिया की अपील खारिज करने के निमित्त धारा I आदेश की सपठित हुक्म की पूर्ण है अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार की जाती है प्रकरण में दिनांक 21/07/2015 की जारी T.I आदेश को रद्द वाद में रिवीजन तय कर्तव्य किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से रद्द की पत्रावली रद्द वाद में शामिल की जावे। (मित्तल के०) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज०)